मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 3-14/79/3/1 भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर, 1979

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

विषय:- पदोन्नति के लिए पूर्व सेवा की गणना-कनिष्ट व्यक्ति की सेवा वरिष्ठ व्यक्ति की सेवा से अधिक होने पर विसंगति को दूर करने के लिए भरती नियम में संशोधन ।

==x==

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आदर्श भरती नियमों में निम्न लिखित संशोधन किया जाए ताकि कोई भी कनिष्ठ व्यक्ति अपने से वरिष्ठ व्यक्ति से पहले प्रवर श्रेणी/पदोन्नति के लिए विचार नही किया जा सके ।

नियम 14(1) के नीचे निम्न लिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"परन्तु आपाती कमीशन तथा अल्प सेवा कमीशन के सेवा मुक्त अधिकारियों को सेवा में नियुक्ति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 के ज्ञापन क्रमांक 2266/1987/1(3)67 के अनुसार जिस तारीख से सेवा में नियुक्त माना गया है उसी तारीख से उनकी सेवा की गणना की जाएगी ।

परन्तु और कि इस नियम के अंतर्गत किसी कनिष्ठ व्यक्ति को प्रवर श्रेणी/पदोन्नति के लिए केवल उनकी निर्धारित सेवा की अवधि पूरी करने के आधार पर अपने से वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नही किया जाएगा ।"

"Below rule 14(1) the following provisos shall be added:-

Provided that the services of the released officers of the Emergency Commission and Short Service Commission, after their appointment in the Service, shall be counted from the date from which they have been deemed to have been appointed in the Service in accordance with the General Administration Department Memo No. 2266/1987/I(3)/67 dated the 21st October, 1967.

Provided further that any junior person shall not be considered for selection grade promotion in preference to the person senior to him only on the basis of his completing the prescribed service."

आपसे निवेदन है कि आप अपने विभाग के सभी भरती नियमों में आदर्श भरती नियम में किए गए उपर्युक्त संशोधन के अनुसार तुरंत संशोधन जारी करें । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी विभागों के भरती नियमों के लिए उपर्युक्त संशोधन पर मंत्रि परिषद् से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है, इसलिए अब उन्हें इस प्रकार संशोधन करने के लिए पुनः मंत्रि-परिषद् आदेश लेना आवश्यक नही है ।

मध्यप्रदेश के राज्य पाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एन0आर0कृष्णन)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफक्रमांक 3-14/79/3/1 भोपाल दिनांक 17 अक्टूबर, 1979

प्रतिलिपि:-

1- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष;

2, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर,
सचिव राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल;

3- राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव,
सचिव विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश;

4- मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण I/समस्त राज्य मंत्रिगण I
के निज सचिव/निज सहायक
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

(के0एन0श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन वि0